शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय

छुरा, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

प्रवेश पुस्तिका

सत्र् – 2021–22

शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय

छुरा, जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

प्रवेश पुस्तिका

सत्र् – 2021–22

अनुक्रमणिका

विवरण		पृ. सं.
❖ महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय	–	03 – 04
❖ उपलब्ध अध्ययन–व्यवस्था	–	03 – 04
❖ आवेदन प्रस्तुत करने के नियम	–	05 – 09
❖ विभिन्न शुल्कों का विवरण	–	10 – 13
❖ महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ	–	14 – 17
❖ महाविद्यालय परिवार	–	18 – 19
❖ विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता	–	20 – 21
❖ अकादमिक कैलेण्डर	–	22

प्रवेश हेतु निर्धारित संख्या

क्र.	कक्षा	संख्या
01	बी.ए. भाग–एक	120
02	बी.ए. भाग–दो	120
03	बी.ए. भाग–तीन	120
04	बी.कॉम. भाग–एक	60
05	बी.कॉम. भाग–दो	60
06	बी.कॉम. भाग–तीन	60
07	बी.एस.सी. भाग–एक (बायो – 100, गणित – 50)	150
08	बी.एस.सी. भाग–दो (बायो – 100, गणित – 50)	150
09	बी.एस.सी. भाग–तीन (बायो – 100, गणित – 50)	150
10	एम.ए. अंग्रेजी सेमेस्टर – I, II, III, IV	25
11	पीजीडीसीए सेमेस्टर – I, II,	30
	टीपः– ▪ एम.एस.सी. कक्षा प्रारंभ करने की अनुमति प्रत्याक्षा में। ▪ एम.ए. समाजशास्त्र की प्रत्याक्षा में। ▪ एम.ए. हिन्दी प्रारंभ करने की अनुमति।	

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

प्रिय छात्र–छात्राओं,

छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्रस्थित यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के आदेश 143/आउशि/ब–यो 105 रायपुर दिनांक 17.10.2005 के तहत नवीन शासकीय महाविद्यालय छुरा के नाम से 05 सितंबर 2005 से संचालित है। सामान्यः हम आजीवन ज्ञान ग्रहण करते है, परन्तु औपचारिक ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान महाविद्यालय को माना जाता है। माना गया है कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था एवं साहित्य जितना श्रेष्ठ होगा उस देश में उतने ही चरित्रवान एवं व्यवस्थाप्रिय नागरिक होगें।

अन्ततः इस क्षेत्र के जागरूक प्रबुद्ध वर्गो एवं राजनीतिक प्रयासों से इस संस्था का नाम क्षेत्रीय गोंड़ वंषीय राजा एवं रानी कचना धुरवा (किवदंती में उल्लेखित एवं क्षेत्रीय ऐतिहासिक कथा) के नाम पर शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय छुरा जिला–गरियाबंद (छ.ग.) रखा गया है।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्धता प्राप्त यह संस्था छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ($U.G.C.$)

1. 2 (F) के अंतर्गत – प्रक्रियाधीन।
2. 12 (B) के अंतर्गत – प्रक्रियाधीन।

पी.के.भोई
प्रभारी प्राचार्य

इस महाविद्यालय में स्नातक निम्नलिखित विषयों में अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है

1. बी.कॉम. भाग– एक

1. आधार पाठ्यक्रम (1. हिन्दी भाषा, 2. अंग्रेजी भाषा)
2. लेखाकंन समूह (ग्रुप)– 1.वित्तीय लेखांकन 2. व्यवसायिक संचार
3. व्यवसायिक प्रबंध समूह (ग्रुप) – 1.व्यवसायिक गणित 2. व्यवसायिक नियमन की रूपरेखा
4. व्यवहारिक अर्थशास्त्र समूह (ग्रुप) – 1.व्यवसायिक पर्यावरण 2. व्यवसायिक अर्थशास्त्र।

टीपः– साथ ही पर्यावरण अध्ययन विषय लेना अनिवार्य है।

2. बी.कॉम. भाग– दो

1. आधार पाठ्यक्रम (1. हिन्दी भाषा, 2. अंग्रेजी भाषा)
2. लेखाकंन समूह (ग्रुप)– 1.निगमीय लेखाकंन 2. कम्पनी अधिनियम
3. व्यवसायिक प्रबंध समूह (ग्रुप) – 1.लागत लेखांकन 2. व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत
4. व्यवहारिक अर्थशास्त्र समूह (ग्रुप) – 1.व्यवसायिक साख्यिकीय 2. उद्यमिता के मूल सिद्धांत।

3. बी.कॉम. भाग– तीन

1. आधार पाठ्यक्रम (1. हिन्दी भाषा, 2. अंग्रेजी भाषा)
2. अनिवार्य – 1.आयकर 2. अंकेक्षण 3. अप्रत्यक्ष कर जी.एस.टी. के साथ 4. प्रबंधकीय लेखांकन
3. वैकलपिक समूह – A – वित्तीय क्षेत्र B –विपणन क्षेत्र D – मुद्रा, बैकिंग तथा बीमा क्षेत्र में से किसी एक का चयन करना होगा।

टीपः– प्रथम या द्वितीय वर्ष में पर्यावरण अध्ययन विषय नही लेने अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बी.कॉम. की अंतिम कक्षा तक पर्यावरण अध्ययन में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4. बी.ए.भाग– एक, दो एवं तीन

- बी.ए.भाग–एक –

अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (1. हिन्दी भाषा, 2. अंग्रेजी भाषा)
पर्यावरण विज्ञान
कोई भी तीन विषय का चयन– हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र।

- बी.ए.भाग – दो एवं तीन –

अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (1. हिन्दी भाषा, 2. अंग्रेजी भाषा)
वैकल्पिक विषय समूह – विद्यार्थी ने जिस विषय के साथ एक/दो उत्तीर्ण किया हो।

टीपः– 1. छात्र/छात्राओं, उपरोक्तानुसार महाविद्यालय में संचालित संकाय/विषय में से ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
2. प्रथम वर्ष में पर्यावरण अध्ययन विषय नही लेने अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में द्वितीय या अंतिम वर्ष में अनिवार्य रूप से पर्यावरण विषय लेना है और बी.ए. अंतिम तक पर्यावरण अध्ययन में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5. बी.एस.सी. भाग–एक, दो एवं तीन

बी.एस.सी. की कक्षाओं में आधार पाठ्यकम (हिन्दी, अंग्रेजी) एवं पर्यावरण अध्ययन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक समूह के विषयों का चयन करना होगा।

1. जीव विज्ञान समूह :– 1. वनस्पति शास्त्र 2. प्राणी शास्त्र 3. रसायन शास्त्र
2. गणित समूह :– 1. गणित 2. भौतिक शास्त्र 3. रसायन शास्त्र

टीपः– प्रथम वर्ष में पर्यावरण अध्ययन विषय नही लेने अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में तृतीय वर्ष में अनिवार्य रूप से पर्यावरण अध्ययन विषय लेना है और स्नातक स्तर के अंत तक पर्यावरण अध्ययन विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

6. **एम. ए. अंग्रेजी सेमेस्टर पद्धति** – सभी अनिवार्य विषय

7. **पीजीडीसीए सेमेस्टर पद्धति** – सभी अनिवार्य विषय

प्रवेश आवेदन पत्र

इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। सूचना– प्रत्येक संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु अलग–अलग प्रवेश आवेदन पत्र जमा करे। एक संकाय/कक्षा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, दुसरे संकाय/कक्षा हेतु मान्य नही होगा। इन सभी आवेदन पत्रों की अभिप्रमाणित सत्य–प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

1. सभी कक्षाओं में आवेदन पत्र तथा निर्धारित फार्म दिए जायेगे। आवेदन पत्र निर्धारित राशि कार्यालय में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि किसी भी कारण से लौटाई नही जायेगी ।
2. आवेदन पत्र स्वयं विद्यार्थी द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा पिता या पालक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। **विशेष निम्नलिखित मूलप्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है।**

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रवेश लेते समय देना होगा।
2. डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश नही दिया जायेगा। प्रमाण पत्र ,खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता हैं। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा।
3. पिछली कक्षा की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक के साथ आवश्यक रूप से जॉच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंक सूची विद्यार्थी को तुरंत वापस कर दी जायेगी ।
4. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट उन विद्यार्थियों के लिए है जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित किसी भी संस्था के न रहे हो)।
5. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (प्राईवेट) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्ही दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नही बैठे हो तो ऐसे गत वर्षो की परीक्षा संबंधी जानकारी गेप सर्टिफिकेट (कोर्ट एफ़िडेविट में) प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. जिन विद्यार्थियों ने गत परीक्षा में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल/सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. छात्र/छात्राओं को विभिन्न सुविधाओं एवं छात्रवृत्तियों हेतू छात्रवृत्तियों के लिए निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होगे–

   1. जाति प्रमाण पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. निवास प्रमाण पत्र

   ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए।

10. नौकरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
11. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी मे प्रवेश लिया हो और किन्ही कारणों से परीक्षा में शामिल नही हो पाया हो अथवा अध्ययन बीच में बन्द कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थियों को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नही होगी।
12. शासकीय नियमों के विरुद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नही दिया जायेगा।

13. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्रों को नामांकन फार्म भरना होगा।

सामान्य सूचनाएं

1. यदि विद्यार्थी एक संकाय छोड़ दुसरे संकाय में प्रवेश लेना चाहे तो उसका गुणानुकम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जायेगा।
2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहता है उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नही होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी परिवर्तन नही किया जावेगा।
3. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नही भेजी जायेगी, प्रवेश–सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूचना पहुचाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की नही होगी।
4. प्रवेश सूची जारी होने के सात दिनों के अंदर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा।
5. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
6. विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं के प्रारंभ होने की तिथि से की जावेगी, छात्र के प्रवेश लेने की तिथि से नही। उपस्थिति में छूट की कोई सुविधा नही दी जावेगी। यदि उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नही होगा।
7. प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक सत्य प्रतिलिपि होना आवश्यक है।
8. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने के बाद मूल अंक–सूची कार्यालय से तुरंत लेने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की ही होगी।
9. आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रमाण पत्र संलग्न न होने पर विद्यार्थी तत्संबंधी सुविधा से वंचित कर दिया जावेगा।

प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदि :–

1. विद्यार्थी महाविद्यालय का प्रवेश–शुल्क निर्धारित तिथि के अंदर जमा नही करता है।
2. यदि विद्यार्थी महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहता है।
3. विद्यार्थी का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि में असंतोषजनक हो।
4. विद्यार्थी रेंगिंग में संलिप्त पाया जाये।
5. यदि विद्यार्थी किसी अपराधिक या अनैतिक कार्यो में लिप्त हो।
6. शासकीय नियमानुसार यदि कोई विद्यार्थी लगातार 1 माह से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा।

अर्हता

अर्हता संबंधी नियम राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग तथ पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगें।

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवजन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
2. महाविद्यालय में विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मान्य होने तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
3. पूर्व परीक्षा में जो विद्यार्थी अमहाविद्यालय (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हो अथवा अन्य वि.वि. से आए हो, उन्हे विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भरना अनिवार्य है।
4. स्नातकोत्तर कक्षा में संकाय परिवर्तन पश्चात् प्रवेश लेने वाले छात्रों को संकाय परिवर्तन शुल्क देना होगा।

राज्य शासन द्वारा अनुमोदित प्रवेश हेतु पात्रता

1. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, छत्तीसगढ़ पदस्थ,(ऐसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता) राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी (जिनका पदांकन छ.ग. में हो) के पुत्र/पुत्री और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत शासन द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।
2. प्रवेश अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको के महायोग पर गुणनक्रम से किया जावेगा। किन्तु 40 प्रतिशत से कम स्नातक स्तर पर सैध्दांतिक अंकों के 45 प्रतिशत से कम स्नातकोत्तर स्तर पर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेष नहीं दिया जायेगा। परन्तु स्नातक स्तर पर न्युनतम 40 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सैध्दांतिक अंको के न्युनतम 45 प्रतिशत तक के छात्र निर्धारित समय में प्रवेष के लिए उपलब्ध न होने पर गुणनक्रम के आधार पर न्युनतम अंक सीमा से कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
   केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडल **(सी.बी.एस.ई.)** से उत्तीर्ण छात्र को स्नातक स्तर पर प्रवेष के लिए परीक्षा में एक भाषा तथा तीन उन्हीं विषयों के प्राप्तांकों का महायोग किया जायेगा। जिस संकाय में छात्र प्रवेश लेना चाहता है–

   उदाहरणर्थ :– गणित विषय से उत्तीर्ण छात्र को बी.एस.–सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए गणित समूह के केवल गणित समूह तथा जिस भाषा में अधिकतम अंक मिले हों उस भाषा के अंक मिले हों उस भाषा के अंकों को ही महायोग के लिए सम्मिलित माना जायेगा।
   इस प्रकार तीन अच्छी एवं एक अनिवार्य भाषा अंको के आधार पर ही गुणानुक्रम निश्चित किया जायेगा।
3. प्रवेश के लिए न्युनतम अंकों का प्रतिशत स्नातक, स्नाकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष के लिए ही है। यह बंधन उन पर लागू नहीं होगा जो स्नातक द्वितीय,तृतीय या स्नातकोत्तर अंमि वर्ष में प्रविष्ट हो रहे है।

अधिभार

1. गुणाकम निर्धारित करते समय अधिभार का आषय प्राप्तांको के आधार पर अधिभार से है। यह अधिभार निम्नानुसार दिया जायेगा। किन्तु एक से अधिक प्रकार का अधिभार नही दिया जायेगा।
2. एन. सी. सी.
   (अ) स्नातक स्तर पर ए सर्टिफिकेट के आधार पर–2प्रतिशत
   (व) स्नातकोत्तर स्तर पर बी अथवा सी सर्टिफिकेट के आधार पर – 2प्रतिशत
3. राज्य स्तरीय संचालनयीन एन. सी. सी. प्रतियोगिताओं में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 3 प्रतिशत
4. नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में एन. सी. सी./एन. एस. एस. के कांटिजेंट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 5 प्रतिशत
5. एन. एस. एस. में 240 घंटो के प्रमाणित कार्य अनुभव के आधार पर 3 प्रतिषत
6. शासकीय महाविद्यालय में आनर्स विश्य पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण महाविद्यलय के छात्र को स्नातकोत्तर कक्षाओं में उसी विषय में प्रवेष लेने पर 10 प्रतिषत।

विशेष प्रोत्साहन

1. जिसने ओलंपिक/एशियाड/स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय अथवा अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो परन्तु इस प्रकार की पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हे उपर्युक्त उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक है।
2. जिसने भारतीय विश्वविद्यालय संघ एस. आई. यू. द्वारा आयोजित छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता तथा लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. शासन द्वारा संचालित प्रतियोगिता केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर आंचलिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को नियमानुसार उनके द्वारा अंतिम प्रीक्षा में प्राप्तांक का निम्नलिखित प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा।

क. गोल्ड मेडलिस्ट/प्रथम स्थान प्राप्त होने वालों को	– 20%
ब. सिल्वर मेडलिस्ट/द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को	– 15%
ग. ब्रास मेडलिस्ट /तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को	– 12%
घ. केवल भाग लेने वालों का	– 10%
इ. अंको का अधिभार	– 10%

अंको का अधिभार केवल एक ही विद्या के लिए देय होगा। प्रांप्ताकों का अधिभार केवल उन्ही खिलाड़ियों को देय होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखते है।

संकाय परिवर्तन

यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में अथवा स्नातकोत्तर पूर्वाध में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विशय परिवर्तन का प्रवेश चाहे ता जहां विश्वविद्यलाय द्वारा ऐसा प्रावधान हो वहां प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर गुणाकम निर्धारित किया जाएगा।

पुनः प्रवेश

किसी कक्षा में नियमित प्रवेश लेकर बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले छात्र, एक बार प्रवेश लेकर अनुउत्तीर्ण होने वाले छात्र को नियमित प्रवेश नही दिया जाएगा।

स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान में प्रवेश नही दिया जायेगा।
(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्ही विषयों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नही होगी।

प्रवेश हेतु गुणनकम का निर्धारण

उपल्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है ता अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर अनारक्षित एवं श्रेणी के लिए अलग–अलग सूची तैयार की जावेगी।

आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा।

(अ) (क) अनुसूचित जनजाति के लिए 32% सीट।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए 12% सीट।

(ग) पिछड़े वर्गो के लिए 14% सीट।

उपरोक्त आरक्षित सीटें अंतिम तिथी पर रिक्त रह जाती है इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।
उपरोक्त उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जायेगा।
(ब) सभी वर्गो में उपलब्ध सीटों में से 30 सीट महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होगे।
(स) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांक श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 प्रतिषत सीट आरक्षित रहेगें।(विकलांक आवेदकों की प्राप्तांको को 10 प्रतिशत अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणाकम निर्धारित किया जायेगा। महिलाओं एवं स्वतत्रंता संग्राम सेनानियों के बच्चों के संबंध में क्षैतिज(होरीजेन्टल) आरक्षण अवधारित किया जावेगा।

उर्ध्वाधर आरक्षण

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में रख जाता है तो आरक्षित सीट यथावत अप्रभावित रहेगी।

शुल्क संबंधी नियम

1. विद्यार्थी स्वयं काउन्टर पर ही फीस जमा करें।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए विद्यार्थी उसी समय रसीद प्राप्त करें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरंत प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नही लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होगें।
4. विद्यार्थी सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।
5. नामांकन शुल्क उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित होकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में नामांकित होना चाहते है।

विभिन्न शुल्कों का विवरण

सत्र 2021—22						
प्रवेश शुल्क एवं शुल्क का विवरण स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर						
क्र.	शुल्क विवरण	कक्षा का नाम				
		बी. ए.—1,2,3	बी. एस. सी.—1,2,3	बी. कॉम—1,2,3	एम.ए. अंग्रेजी 1,2 सेमेस्टर	पी.जी.डी.सी.ए.
1	2	3	4	5	6	7
	शिक्षण शुल्क	115	115	115	126	115
	प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3
	स्टेशनरी शुल्क	2	2	2	2	2
	पुनः प्रवेश शुल्क	12	10	10	10	—
	प्रयोगशाला शुल्क भूगोल	20	20	—	—	—
	योगः—	152	150	130	141	120
अशासकीय मद(ए.एफ.)						
2.	सम्मिलित निधि शुल्क युनियन 20 कीड़ा 12	32	32	32	32	32
	महा. वि. विकास शुल्क	25	25	25	25	25
	कॉमन रूम (वाचनालय)	20	20	20	20	20
	वार्षिक स्नेह सम्मेलन	50	50	50	50	50
	छात्रसंघ	20	20	20	20	20
	योग :—	147	147	147	147	147
पी.डी.						
3	वि.वि. शारीरिक कल्याण शुल्क	100	100	100	100	100
	परिचय पत्र	25	25	25	25	25
	चिकित्सा शुल्क	3	3	3	3	3
	निर्धन छात्र कल्याण निधि शुल्क	5	5	5	5	5
	अवधान राशि	60	60	60	100	0
	सायकल स्टैण्ड	40	40	40	40	40
	युवा उत्सव	10	10	10	10	10
	आंतरिक मूल्यांकन	80	80	80	80	0
	योग :—	323	323	323	363	183

	रेडकास	40	40	40	40	40
	जनभागीदारी	400	600	400	1000	0
	स्ववित्तीय	0	0	0	0	12000
	योग :—	440	640	440	1040	12040

	विश्वविद्यालय शुल्क					
	नामांकन शुल्क	150	150	150	150	150
	शारीरिक शिक्षा शुल्क	50	50	50	50	50
	ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क	50	50	50	50	50
	अप्रवासन शुल्क	360	360	360	360	360
	योग :–	610	610	610	610	610
	महायोग					

धरोहर राशि (अमानत राशि) प्राप्त करने के नियम

- धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10दिन पूर्व जमा करें।
- महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (T.C.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जावेगी।
- परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति शुक्रवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा।
- छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अन्दर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष व्यतीत होने पर धरोहर राशि वापस नहीं की जायेगी एवं शासन के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।

छात्रवृत्तियॉं – शिष्यवृत्तियॉं

1. छत्तीसगढ़ शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें। आवेदन पत्र कार्यालय से प्रदान किये जायेगें। अंतिम तिथि के संबंध में सूचना महाविद्यालय के सूचना फलक में लगा दी जाती है। विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते है, परन्तु नियमानुसार उन्हे केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।
2. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें। विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
3. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी उपर्युक्त सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो इनसे वंचित रह जावेगा,जिसकी जिम्मेदारी स्वंय विद्यार्थी की होगी।
4. छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति की सूचना विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी जिसे देखकर विद्यार्थी स्वयं कार्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करें।
5. योग्य निर्धन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट निर्धन छात्र कल्याण निधि से प्रदान की जाती है।
6. इसके अलावा निर्धन विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर पाठ्यपुस्तक वितरित करने का कार्य महाविद्यालय में बुक बैंक योजना के माध्यम से किंया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पाठ्यपुस्तक सत्र के अंत में महाविद्यालय में वापस जमा करना होता है।

विषेष :– छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही जमा करें।
यह आवेदन पत्र महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निम्नलिखित संक्षिप्त विवरणों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है कि विद्यार्थी को किस प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है –

क्र. प्रकार	अवधि	दर प्रतिमाह	आधार
1. पोस्ट मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (अ.ज., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) स्नातक स्तर	3 वर्ष	बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.भाग– 1 छात्र – /– 55 छात्रा – /– 70 बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.भाग – 2,3 छात्र – /– 70 छात्रा – /– 85	9000/– तक पूरी छात्रवृत्ति 9000/– तक पूरी छात्रवृत्ति
2. स्नातकोत्तर स्तर	2 वर्ष	एम.ए. पूर्व छात्र – 100 छात्रा –110 एम.ए. अंतिम छात्र – 105 छात्रा –115	25000/– तक आधी छात्रवृत्ति 25000/– तक आधी छात्रवृत्ति
3. बी.पी.एल.(निर्धरता) छात्रवृत्ति	3 वर्ष	स्नातक – 300/– स्नाकोत्तर – 500/– प्रतिमाह	1. बी.पी.एल. प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन कर सकते है।
4. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति		प्रवेश शुल्क 3000/– स्नातक – 140/– स्नाकोत्तर –185/–	मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौध्द हो।

ऋण की अदायगी छात्रवृत्ति बंद होने के तीन वर्ष बाद नौकरी लगने के 1 वर्ष बाद जो भी पहले हो छात्र को ऋण अदायगी करना होगा, शिक्षा की दर से छूट दी जायेगी। समय पर ऋण अदायगी न किये जाने पर 10 प्रतिषत की दर से ब्याज से देना होगा।

छात्रवृत्तियों/ शिष्यवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों का विस्तृत विवरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है व विद्यार्थी तदनुसार आवेदन समयावधि में कार्यालय में जमा करें।
2. उपर्युक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वंय विद्यार्थी का होगा।

3. महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति संबंधी सूचनाएं समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य दिये जायेंगें।
6. उपरोक्त जानकारी नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के लिए है।
7. प्रत्येक छात्रवृत्ति/षिष्यवृत्ति नवीनीकरण विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर जुलाई माह में आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।
8. विद्यार्थी को नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रति वर्ष जुलाई में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छावृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का ही है कि
9. सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास विद्यार्थी के लिए नवीन छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगे।
10. आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है।
11. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है। इस पर शासन द्वारा किसी भी जांच की जा सकती है।
12. शासन के नियमानुसार जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति/षिष्यवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिषत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अंतर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियामों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीप :– महाविद्यालय के विद्यार्थी जिन्हे कोई भी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते हैं, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

भवन

महाविद्यालय का अपना दो मंजिला भवन है जिसमें अध्ययन कक्ष, प्रयोग शालाएं तथा प्रशासनिक खंड शामिल है।

पुस्तकालय

(अ.) पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है। पुस्तकालय, वाचनालय का विद्यार्थी पूरा–पूरा उपयोग करें। यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरूपयोग करते है, तो उन्हे इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। कार्य दिवस में पुस्तकालय प्रातः 11 बजे से संध्या 5 बजे तक खुला रहेगा। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर विद्यार्थियों को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय विद्यार्थियों को चाहिए कि वह देख लें कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया़ा हुआ तो नहीं है। यदि विद्यार्थी ऐसा पाये तो तत्काल वह ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हे दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दषा में उसकी वर्तमान कीमत की राषि एवं दंड की राशि देय होगी।

(ब) प्रश्न पत्र समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग विद्यार्थी वाचनालय में बैठकर ही कर सकते है।

बुक बैंक योजना

1. साधनहीन व निर्धन विद्यार्थी के लिये बुक बैंक की विशेष योजना व व्यवस्था है। इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर के पूर्व बुक बैंक की सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक पूरे सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटाना होगी।
2. महाविद्यालय के ग्रथांलय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पृथकृतः "बुक बैंक" योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही विद्यार्थी प्रवेश –पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण – पत्र प्रस्तुत कर ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते है।

बी.पी.एल.(गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति

इस योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण–पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेष आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

यह योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बध्द है। इसके अंतर्गत गांव में शिविर लगाकर समाज–सेवा–कार्य किया जाता है। महाविद्यालय में नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में एक यूनिट कार्यरत् है।

प्राचार्य की अध्यक्षता में इस योजना का संचालन किया जाता है।

14

खेलकूद

महाविद्यालय में विभिन्न खेलों की समुचित व्यवस्था है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि लेकर

भाग लें। महाविद्यालय के प्रागंण में विद्यार्थियों के लिए इनडोर एवं आउटडोर खेलकूद की समुचित व्यवस्था है।

1. शारीरिक शिक्षण विभाग की विभिन्न गतिविधियों का संचालन क्रीडा अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के मार्गदर्शनानुसार सम्पन्न होता है। क्रीडा सलाहकार समिति के अध्यक्ष–प्राचार्य तथा उनके द्वारा नियुक्त प्राध्यापक एवं सचिव–क्रीड़ा अधिकारी एवं खेलों में रूचि रखने वाले प्राध्यापक सदस्य होते है।
2. महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा, अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया गया है। जो छात्र पंडित रविषंकर विष्वविद्यालय रायपुर में अन्तर्महाविद्यालयीन प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करते है, उन्हे निर्णयानुसार किट्स तथा ब्लेजर दिये जाते है।

यूथ रेडक्रास सोसायटी

ध्येय– छात्रों का सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवा भाव जागृत करना, रोगियों, पीड़ितों, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, कार्यशालाओं का आयोजन करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना।

1. यूथ रेडक्रास सोसायटी का वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 25/– प्रति छात्र होगी।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कार्य समिति का गठन किया जावेगा। कम से कम तीन छात्र प्रतिनिधि, प्राध्यापक, क्रीड़ी अधिकारी, पुस्तकालय प्रभारी सदस्य रहेंगे। समिति के सदस्यों की संख्या 11 होगी।
3. जिला अध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे।

वाचनालय

पुस्तकालय, वाचनालय का विद्यार्थी पूरा–पूरा उपयोग करें। यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरूपयोग करते है तो उन्हे इस सुविधा से वंचित किया जा सेकता है दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोए हुए पाए जाने पर विद्यार्थियों को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय विद्यार्थियों को चाहिए की वह देख ले कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है। यदि विद्यार्थी ऐसा पाए तो तत्काल वह ग्रंथालय (लाइब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हे दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर वापस न करने की दशा में अर्थ दंड देना होगा।

प्रतियोगिता

खेलकूद, निबंध, वाद–विवाद, कहानी, भाषण, कविता, संगीत, नाटक एवं लोकगीत आदि की प्रतियोगिताएं महाविद्यालय, राज्य एवं राष्ट्रस्तर पर आयोजित है। सूचनाएं सूचना फलक में लगाई जाती है। इच्छुक विद्यार्थियों को अवसरों से लाभान्वित होने के लिए सामने आना चाहिए। व्यय विद्यार्थी स्वतः को करना होता है।

शैक्षणिक भ्रमण

समय–समय पर प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थानों के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। रेल मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले रियायती टिकट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है।

शिक्षकों की उपलब्धता

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक महाविद्यालय में 7 घंटे उपलब्ध रहेगें।

1. दिवस कालीन समय प्रातः 10:30 से 5:30 बजे शाम।
2. घंटे का ब्रेकअप :– 6 घंटे अध्ययन अध्यापन कार्य(प्रायोगिक,ट्यूटोरियल,रेमेडियल,लायब्रेरी वर्क, सम्मिलित), 1 घंटा अन्य कार्य(खेलकूद,रिक्रियेषन,प्राचार्य,द्वारा प्रदत्त कार्य)पाठ्यक्रम पुनरावलोकन में प्रत्येक शिक्षक एक घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लेकर विद्यार्थियों का शंका समाधान करेगें।

छात्र संघ

महाविद्यालय में प्रतिवर्श विद्यार्थियों की कलात्मक,सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु पं. रविशंकर वि. वि. के अध्यादेश क्रमांक 1 के अनुसार छात्र संघ गठित किया जाता है।

परिचय पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिचय पत्र बनवााना अनिवार्य है, जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना भी अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने परिचय पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नही दिया जायेगा। एक विद्यार्थी को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा। अध्यापन के दिनों में परिचय पत्र लाना अनिवार्य है।

प्रवेश के मार्गदर्शक सिध्दांत

(अ) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार दिया जाता है।

(ब) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश उन्ही विद्यार्थियों को दिया जायेगा जिन्होने छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह प्रतिबंध छत्तीसगढ में पदस्त अन्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों में कार्यरत् कर्मचारियों के विद्यार्थियों पर लागू नही होगा।

(स) ऐसी परीक्षा के लिए जिसमें स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश नही दिया जायेगा। यह प्रतिबंध उन विद्यार्थियों पर लागू नही होगा जो संकाय चाहते है। ऐसे विद्यार्थियों के आवेदानों पर स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकेगा।

रैगिंग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ाना का प्रतिषेध अधिनियम 2001 पारित किया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुशंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है।

परिभाषा–

रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार उत्प्रेरित,बाध्य या मजबूर करना जिससे मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्षित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, अपराधिक दोषपूर्ण अवरोध दोषपूर्ण परिरोध या उससे क्षति पहुंचाना या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी,दोषपूर्ण अवरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना।

रैगिंग का प्रतिशेध

1. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा को प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नही लेगा।
2. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल पूर्ण प्रतिबंध है।
3. महाविद्यालय परिवार में मादक पदार्थो का पूर्ण प्रतिबंधित है।

दण्ड–यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिशेध के उपबंधो का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या ता कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नही होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नही होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानवीय एवं अप्रशमनीय होगा।

अपराधों का विवारण

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :–

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था–परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिध्द दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसे छात्र/छात्रा जो निष्काशित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिध्ददोष पाया गया हो को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था के क्षेत्रधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नही दिया जायेगा।

महाविद्यालय परिवार

शैक्षणिक स्टॉफ

1. प्रो. पी. के. भोई	–	प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी
2. श्री ओम प्रकाश पटेल	–	सहायक प्राध्यापक भूगोल
3. श्रीमति गुंजन ओझा	–	सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र
4. श्री विनित कुमार साहू	–	सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र
5. श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	–	सहायक प्राध्यापक हिन्दी
6. श्री ढालू राम साहू	–	सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
7. डॉ. छत्रपाल सिंह सिकरवार	–	सहायक प्राध्यापक गणित
8. अतिथि व्याख्याता अंग्रेजी	–	प्राध्यापक अंग्रेजी
9. अतिथि व्याख्याता रसायन	–	रसायन
10. अतिथि व्याख्याता वनस्पति विज्ञान	–	वनस्पति विज्ञान
11. अतिथि व्याख्याता भौतिक शास्त्र	–	भौतिक शास्त्र
12. अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र	–	समाज शास्त्र
13. अतिथि व्याख्याता वाणिज्य	–	वाणिज्य

टीप–शासन के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाती है।

कार्यलयीन स्टॉफ

1. रिक्त	–	सहायक ग्रेड –2
2. रिक्त	–	सहायक ग्रेड–3
3. रिक्त	–	सहायक ग्रेड–3
4. रिक्त	–	सहायक ग्रेड–3 (संविदा)

प्रयोगशाला तकनीशियन

1. श्री गणेश राम ठाकुर
2. रिक्त
3. रिक्त
4. रिक्त

प्रयोगशाला परिचारएवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री लखन लाल साहू	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
2. रिक्त	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
3. रिक्त	–	प्रयोगशाला तकनीशियन
4. रिक्त	–	प्रयोगशाला तकनीशियन

5. श्री नरसिंग सोम – भृत्य
6. श्रीमति पिंकी यादव – भृत्य
7. रिक्त – चौकीदार

फर्राश/स्वीपर(कलेक्टर रेट)
1. गोपी राम साहनी (जनभागीदारी)
2. स्वच्छक (रिक्त)

चौकीदार (जनभागीदारी)
1. श्री गोपीचंद नेताम

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत अनिवार्य।

एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं/यूथ रेडकास सोसायटी के कार्यकमों में सम्मिलित हुए छात्रों की उपस्थित दिनों की गणना की जायेगी।

उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जायेगी।

कम उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं तथा उनके पालकों सूचना दी जायेगी।

उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।

विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

1. सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति मे उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर व शैक्षेणेत्तर गतिविधियों में सहभागिता कर लाभ प्राप्त करेंगे।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों का गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लेगा।
9. महाविद्यालय–परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2. अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी 75 % उपस्थित अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
2. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
3. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य मे समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
4. व्याख्यान कक्षों या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

3. परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्ध्दवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना – प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नही करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा उसका निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक् छोड़ दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेष लेने हेतू विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषना पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हैं और यह हस्ताक्षर प्रवेष समिति के सम्मुख करेंगे।

अकादमिक कैलेण्डर

- सत्र् का प्रारंभ : 02 अगस्त
- प्रवेश प्रकिया(प्राचार्य का अधिकार) : 02 अगस्त से 31 अगस्त 2021
- कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथी : 15.09.2021

अन्य समस्त गतिविधियां विश्वविद्यालय समन्वय समिती द्वारा घोषित कैलेण्डर के अनुसार संपादित होगी। विद्यार्थीओं की सषैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत् मूल्यांकन के तहत निम्नानुसार आंतरिक परीक्षाएं आयोजित की जायेगी।

- प्रथम यूनिट — अक्टूबर
- द्वितीय यूनिट टेस्ट — नवंबर
- त्रैमासिक परीक्षा — दिसंबर
- तृतीय यूनिट टेस्ट — जनवरी
- छःमाही परीक्षा — जनवरी
- चतुर्थ यूनिट टेस्ट — फरवरी
- प्री फाईनल परीक्षा — फरवरी
- वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा — मार्च

टीप विशेष :– छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा नये प्रवेश नियम जारी किये जाने पर तदनुसार परिवर्तन मान्य होगे।